



राजस्थान—सरकार



मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme



बजट घोषणा 2018–19

अन्नपूर्णा दुग्ध योजना
शुभारम्भ दिनांक 02 जुलाई 2018

योजना का रिकार्ड संधारण व्यवस्था

• विद्यालय स्तर

- विद्यालय में लाभान्वित होने वाले छात्रों का विवरण पौष्टाहार वितरण रजिस्टर में आयुक्तालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या-01 में विद्यार्थियों की संख्या, पिलाये गये दुध की मात्रा आदि का इन्द्राज किया जावें।
- विद्यालय में प्रतिदिन प्राप्त दुध की मात्रा का अंकन दूध पौष्टाहार स्टॉक पंजिका प्रपत्र-02 में किया जावें। जिसमें दुग्ध वितरण एजेन्सियों को भुगतान आदि का वितरण इन्द्राज किया जावें।

योजना का विवरण

सप्ताह में तीन दिन

शहरी क्षैत्र	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
ग्रामीण क्षैत्र	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार

नोट :- प्रत्येक विद्यालय के सम्बन्धित पीईईओ द्वारा दूध वितरण हेतु दिवसों का निर्धारण दुग्ध की दैनिक मांग एवं उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

दुग्ध की मात्रा

क्र.सं.	कक्षा स्तर	दुग्ध की मात्रा	राशि प्रति छात्र	
			शहरी क्षैत्र	ग्रामीण क्षैत्र
1	प्राथमिक	1 to 5	150 ml.	6.00
2	उच्च प्राथमिक	6 To 8	200 ml.	8.00
				5.25
				7.00

* * अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के उद्देश्य * *

- राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
अध्ययनरत छात्र / छात्रओं में:-
 - नामांकन वृद्धि
 - छात्र उपस्थिति में वृद्धि
 - झापआउट को रोकना
 - पौष्ण स्तर में वृद्धि
 - मेक्रो एवं मार्ईक्रों न्यूट्रिएन्ट्स उपलब्ध कराना



दुग्ध उपलब्धता के स्रोत

शहरी क्षेत्र	सरस डेयरी बुथ, (उच्च गुणवत्तापूर्ण पाश्च्यूरिकृत टोंड मिल्क)
	पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति (उल्लंघन होने पर)
ग्रामीण क्षेत्र	<p>अथवा</p> <ul style="list-style-type: none">I. पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितिII. महिला स्वयं सहायता समूहIII. अन्य स्वयं सहायता समूह <p>विकल्प I, II, & III के अतिरिक्त अन्य स्रोत</p>

राशि का विद्यालय स्तर पर उपयोग

अन्नपूर्णा दुध योजना के शुभारम्भ से पूर्व ब्लॉक विद्यालय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु दुग्ध का भण्डारण, वितरण आदि की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार बर्तनों का क्रय किया जाना है।

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	क्रय हेतु अधिकतम राशि	सामग्री व मापदण्ड	विवरण
1	बड़े बर्तन (भगोने, स्टील टंकी इत्यादी) क्रय	2500/-	<ul style="list-style-type: none"> ■ दूध गर्म करने के लिये 18 गोज का स्टेनलेस स्टील का भगोना (20 / 30 / 40 लीटर) नामांकन के अनुसार ■ एक 20 लीटर की स्टेनलेस स्टील टोंटीयुक्त टंकी ■ एक जग (2 कि.ग्राम) ■ पलटा (खुरपा) एवं अन्य आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था नामांकन अनुसार करनी होगी। 	बर्तन, गिलास इत्यादि की खरीद में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावें।
2	गिलास क्रय	20/-	विद्यालय में नामांकन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त स्टेनलेस स्टील का गिलास (250 ml.) का क्रय किया जाना है।	